आपराधिक निगरानी संख्या– 01 / 2021
जयसिंह बनाम राजस्थान राज्य
आदेश दिनांक : 04.07.2026

न्यायालय : अपर सेशन न्यायाधीश संख्या–2, सांभर लेक, जिला–जयपुर।

पीठासीन अधिकारी	:	इन्दु उज्ज्वल, आर.जे.एस., (जिला न्यायाधीश संवर्ग)
आपराधिक निगरानी संख्या	:	01 / 2021
एन सी वी नम्बर	:	132 / 2017

जयसिंह पुत्र स्व. जवानी सिंह, उम्र 63 वर्ष, निवासी नान्दरी प्रतापपुरा, थाना रेनवाल, जिला जयपुर।

.....निगरानीकर्ता

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये लोक अभियोजक सांभर लेक।

.....गैरनिगरानीकर्ता

निगरानी विरूद्ध आदेश दिनांक 28.06.2017,
न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, सांभर लेक,
परिवादी जयसिंह बनाम सरकार, एफ.आई.आर. संख्या– 253 / 13,
थाना रेनवाल, एफ.आर. नंबर– 155 / 13,
अंतर्गत धारा 379, 447 / 34 भा.दं.सं.।

उपस्थितः–

1–श्री शान्तनु नागू, श्री गिरीश चन्द नागू, विद्वान अधिवक्तागण वास्ते निगरानीकर्ता।

2–श्री उमा शंकर व्यास, विद्वान अपर लोक अभियोजक वास्ते सरकार।

– आ दे श –

दिनाकं : 04.07.2026

1. निगरानीकर्ता जयसिंह ने गैर निगरानीकर्ता राजस्थान राज्य के विरूद्ध एफ आई आर संख्या 253 / 2013 थाना रेनवाल एवं एफ आर नंबर 155 / 2013 थाना रेनवाल में विचारण न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट सांभर लेक, जिला जयपुर द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 28.06.2017 के विरूद्ध यह आपराधिक रिवीजन पेश की है।

2. संक्षेप में आपराधिक रिवीजन मामला इस प्रकार है कि परिवादी जयसिंह के द्वारा प्रस्तुत इस्तगासे पर पुलिस थाना रेनवाल द्वारा बाद संपूर्ण अनुसंधान प्रकरण में एफ.आर. प्रस्तुत की गयी, जिसकी प्रोटेस्ट पीटीशन परिवादी जयसिंह द्वारा प्रस्तुत कर स्वयं परिवादी जयसिंह, मदनलाल, नारायण सिंह व महावीर सिंह के बयान कराये, जिसके पश्चात् विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा बाद सुनवायी दिनांक

28.6.2017 को आदेश पारित करते हुए परिवादी की आपत्ति याचिका खारिज कर एफ.आर. मंजूर कर ली गयी, जिससे व्यक्ति होकर निगरानीकर्ता/परिवादी ने उक्त आपराधिक रिवीजन पेश की है।

3. दौराने बहस निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का निवेदन रहा है कि आलौच्य आदेश दिनांकित 28.06.2017 विधि विरूद्ध एवं न्याय के स्थापित सिद्धांतों के विपरीत है। विचारण न्यायालय ने परिवादी द्वारा स्वयं के बयान धारा 200 सी आर पी सी एवं अन्य गवाहान के बयान धारा 202 सी आर पी सी का सही रूप से विश्लेषण नहीं कर कानूनन भूल की है। अतः आलौच्य आदेश दिनांक 28.06.2017 निरस्त कर मुलजिमान के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने का निवेदन किया।

4. जबकि विद्वान अपर लोक अभियोजक का यह निवेदन रहा है कि विद्वान विचारण न्यायायलय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांकित 28.06.2017 विधि सम्मत होने से प्रस्तुत रिवीजन अस्वीकार कर खारिज की जावें।

5. उभय पक्षों के तर्कों पर विचार किया गया एवं विद्वान विचारण न्यायायलय की पत्रावली व आलौच्य आदेश का अवलोकन किया गया।

6. विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से दर्शित होता है कि परिवादी द्वारा एफ.आई.आर. संख्या– 253/2013 पुलिस थाना रेनवाल में दर्ज करायी थी। बाद अनसंधान पुलिस थाना रेनवाल द्वारा प्रकरण में अदम वकू सिविल नेचर में एफ.आर. प्रस्तुत की गयी थी। परिवादी द्वारा प्रोटेस्ट पिटीशन पेश कर धारा 200 व 202 सी आर पी सी के बयान लेखबद्ध करवाये, जिसके पश्चात् विचारण न्यायालय ने दिनांक 28.06.2017 को आलौच्य आदेश पारित किया। आलौच्य आदेश में विचारण न्यायालय ने माना है कि परिवादी द्वारा उक्त घटना को राजू गुर्जर द्वारा देखे जाने बाबत् कथन किया है, परंतु राजू गुर्जर को न्यायालय के समक्ष परीक्षित नहीं कराया गया है। साथ ही पत्रावली के अवलोकन से यह भी दर्शित होता है कि उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी द्वारा निष्कर्ष दिया गया है कि परिवादी एवं आरोपी दोनों भाई हैं, जिनके मध्य पैत्रक जमीन के बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा है। उक्त प्रकरण में अनुसंधान के दौरान परीक्षित हुए किसी भी गवाह ने आरोपीगण द्वारा तार, कातले ले जाने बाबत् कथन नहीं किया है तथा गवाहान द्वारा इस बात की ताईद की गयी है कि परिवादी जयसिंह व विपक्षीगण के मध्य जमीन को लेकर आपस में विवाद चल रहे हैं। पत्रावली के अवलोकन से यह भी दर्शित होता है कि पक्षकारान के मध्य उक्त जमीन को लेकर व संपत्ति को लेकर ए.सी.जे.एम. कोर्ट सांभर में विवाद चल रहा

है। परिवादी अपने कब्जे काश्त की भूमि को दो साल से नहीं बो रहा है व उक्त भूमि परिवादी के नाम नहीं हुई है। अतः अनुसंधान अधिकारी द्वारा दिया गया निष्कर्ष सही प्रतीत होता है।

7. इस प्रकार पत्रावली पर जो साक्ष्य उभर कर आयी है व संलग्न दस्तावेजात व पुलिस अनुसंधान से पक्षकारान के मध्य सिवल मुकदमे लंबित होना दर्शित हुआ है एवं परिवादी पक्ष द्वारा परीक्षित कराये गये गवाहों व साक्ष्य का पूर्ण विवेचन करते हुए विचारण न्यायालय ने आदेश पारित किया है। पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य से विपक्षीगण द्वारा बेईमानीपूर्वक आशय से कातले व तार ले जाना नहीं माना जा सकता है। भूमि को लेकर पक्षकारान के मध्य विवाद चलना एवं उक्त प्रकरण सिविल नेचर का होना पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है।

8. इस प्रकार विद्वान विचारण न्यायालय के द्वारा पारित आलौच्य आदेश दिनांकित 28.06.2017 में कोई वैधानिक त्रुटि दर्शित नहीं होती है। अतः निगरानीकर्ता द्वारा राजस्थान सरकार के विरूद्ध प्रस्तुत रिवीजन सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है एवं विचारण न्यायालय द्वारा पारित आलौच्य आदेश पुष्टि योग्य है।

– आ दे श –

9. अतः निगरानीकर्ता/परिवादी जयसिंह पुत्र स्व. जवानी सिंह द्वारा राजस्थान राज्य के विरूद्ध प्रस्तुत रिवीजन सारहीन होने से खारिज की जाती है और विद्वान विचारण न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, सांभरलेक द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या– 253/2013 एवं अंतिम प्रतिवेदन संख्या– 155/2013, अंतर्गत धारा 379, 447/34 भा.दं.सं. पुलिस थाना रेनवाल में पारित आलौच्य आदेश दिनांक 28.06.2017 की पुष्टि की जाती है। आदेश की प्रति के साथ विचारण न्यायालय की तलबीदा पत्रावली वापस लौटायी जावें।

(इन्दु उज्ज्वल)
अपर सेशन न्यायाधीश संख्या–दो,
सांभर लेक, जिला जयपुर

10. आदेश लिखाया जाकर दिनांक 04.07.2026 को सुनाया गया।

(इन्दु उज्ज्वल)
अपर सेशन न्यायाधीश संख्या–दो,
सांभर लेक, जिला जयपुर